

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. धारा 41 का संशोधन ।

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन  
विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है। संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ।

(2) यह 4 नवम्बर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2009 का 23 धारा 41 का  
संशोधन।  
2. अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

बृजविश्वनाथ 520  
अध्यक्ष  
हिमाचल प्रदेश  
विधान सभा, शिमला

शिमला-171004.

दिनांक : 30-04-2013

में इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ।

डा. वि. वि.  
राजपाल  
सिन्धुमालवंग

शिमला-171002.

दिनांक 24-4-2013

**THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2013**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses:*

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Arni University (Establishment and  
Regulation) Act, 2009 (Act No. 23 of 2009).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in  
the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—


1. (1) This Act may be called the Arni University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4<sup>th</sup> day of  
November, 2009.


2. In section 41 of the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009, in sub-section (2), in the proviso, for the words “twenty five years”, the words “fifty years” shall be substituted. Amendment of section 41.

23 of 2009

में, अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 14) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

  
राज्यपाल,  
हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 14) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

  
सचिव (विधि),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।